राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 40/2025

अपीलांटः– **बनाम** **रेस्पोडेंटः –**

1. श्री शिवलाल पुत्र श्री धन्नाराम निवासी लुनाडा, बाटाडू, जिला बाड़मेर

तहसीलदार बायतु

आदेश

दिनांक 19.11.2025

अपीलार्थी श्री शिवलाल पुत्र श्री धन्नाराम निवासी लुनाडा, बाटाडू, जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील अप्रार्थी तहसीलदार बायतु के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 04.11.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथी को उपस्थित हुए जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा चाही सूचना के संबंध में कार्यालय तहसीलदार बायतु के पत्रांक आरटीआई/2025/326 दिनांक 17.11.2025 को अपीलांट को जरिये पत्र अवगत कराया कि उक्त सूचना अन्य कार्यालय से संबंधित है। लिहाजा अपीलांट द्वारा चाही गई वांछित सूचना अन्य क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निस्तारित की जाये।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि कार्यालय तहसीलदार बायतु के पत्रांक आरटीआई/2025/326 दिनांक 17.11.2025 को अपीलांट को जरिये पत्र अवगत कराया कि उक्त सूचना अन्य कार्यालय से संबंधित है। साथ ही अपीलांट द्वारा चाही गई वांछित सूचना अन्य कार्यालय से संबंधित होने से अपीलांट संबंधित कार्यालय से वांछित सूचना प्राप्त करें। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अपीलार्थी को सूचित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई सूचना समक्ष कार्यालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 19.11.2025 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर, बालोतरा